	राजस्थान राज–पत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
सत्यमेव जयते	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	अग्रहायण 27, मंगलवार, शाके 1940–दिसम्बर 18, 2018 *Agrahayana 27, Tuesday, Saka 1940- December 18, 2018*	

भाग 4 (ग)

उप–खण्ड (I)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य–प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों, उप–विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम।

वित्त (जी. एण्ड टी.) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, दिसम्बर 18, 2018

जी.एस.आर.90 :–राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के नियम 32 के साथ पठित राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 (2012 का अधिनियम सं. 21) की धारा 6 की उप–धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार की सामाजिक–आर्थिक नीतियों, केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार के विभागों और उद्यमों के साधनों और विशेषज्ञता के उपयोग और उपापन संस्थाओं के व्यक्तिशः बोलियों के आमंत्रण और प्रक्रिया में अपेक्षित समय, धन और प्रयासों की बचत के लिए यह आवश्यक है, इस विभाग की, समय–समय पर यथा संशोधित, अधिसूचना संख्यांक एफ. 1(8)/एफ डी/जी.एफ. एण्ड ए.आर./2011 दिनांक 04 सितम्बर, 2013 में इसके द्वारा, निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :–

संशोधन

उक्त अधिसूचना की सारणी में, क्रम संख्यांक 32 के सामने स्तम्भ 2 में विद्यमान मद 1 और स्तम्भ संख्यांक 2, 3 और 4 में उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :–

"

(1) विश्राम भवनों, अतिथि गृहों, राजस्थान हाउस, विश्रांति (एचसीएम रीपा) जनजाति क्षेत्रीय विकास छात्रावासों /विद्यालयों और सामाजिक न्याय	खरीद निम्न प्रकार से की जायेगी :– (क) 1. राज्य सरकार के विभागों/निगमों/सहकारी सोसाइटियों/सोसाइटियों द्वारा चलायी जा रही दुकानों, महिला और बाल	1. राजस्थान में जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग के छात्रावासों और जनजाति क्षेत्र विकास विभाग के विद्यालयों के लिए सहकारी सेक्टर में उपभोक्ता भंडारों से क्रय की गयी सामग्री के

और अधिकारिता विभाग छात्रावासों, आवासीय विद्यालयों, महिला सदनों/नारी निकेतनों, वृद्धाश्रम इत्यादि में। (क) केटरिंग स्टोर्स जैसे दालें, मसाले, चीनी, नमक, आटा, गेहूं, बेसन, मैदा, सूजी, चना, सूखे मेवे, पापड़, मंगोड़ी, तेल, वनस्पति घी, बोतल बंद और टिन बंद सामग्री जैसे मुरब्बा, आंवला उत्पाद, केचअप, स्क्वेशेज, शर्बत, चाय, कॉफी, बिस्किट, जैम, आचार, पेपर नेपकिन्स, टायलेट पेपर, सॉसेज, कार्नफ्लेक्स, इत्यादि	विकास विभाग की अमृता सोसाइटी की दुकानों के माध्यम से 2. राजस्थान खाद्य और नागरिक आपूर्ति निगम लि. से	मामले में आयुक्त, जनजाति-क्षेत्रीय विकास विभाग और सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के छात्रावासों, आवासीय विद्यालयों, महिला सदनों/नारी निकेतनों, वृद्धाश्रम इत्यादि के लिए आयुक्त/निदेशक, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, उनसे ऊपर वर्णित मदों के आदेश देने से पूर्व क्रय समिति के माध्यम से दरों के विषय में बातचीत करेगा। 2. खरीद क्रय समिति के माध्यम से की जायेगी।
(ख) डेयरी उत्पाद जैसे दूध, पाउडर, दही, पनीर, मक्खन, घी, क्रीम	(ख) सहकारी डेयरियों से	
(ग) ईंधन जैसे लकड़ी, एल.पी.जी., कोयला इत्यादि	(ग) वितरकों/ उप–वितरकों से उनकी वर्तमान कीमत सूची पर। चारकोल और ईंधन काष्ठ वन विभाग से	
(घ) मांस, मछली, अण्डे, चिकन	(घ) व्यवहारी/ उप–व्यवहारी से	
(ङ) सब्जियां, फल	(ङ) राज्य स्तरीय सहकारी सोसाइटियों के उपभोक्ता भण्डारों, दिल्ली सुपर बाजार/स्थापित/प्रतिष्ठित खुदरा विक्रेताओं/व्यवहारियों से	
(च) ब्रेड/मिठाई	(च) स्थापित/प्रतिष्ठित खुदरा विक्रेताओं/व्यवहारियों से	

[संख्या एफ. 2 (1)एफडी/एसपीएफसी/2017]

राज्यपाल के आदेश से

मंजू राजपाल,

शासन सचिव।

FINANCE (G&T) DEPARTMENT

NOTIFICATION

Jaipur, December 18, 2018

G.S.R.90 .-In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 6 of the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012 (Act No. 21 of 2012) read with rule 32 of the Rajasthan Transparency in Public Procurement Rules, 2013, the State Government, being of the opinion that it is necessary for the socio-economic policies of the Central Government and the State Government, utilization of resources and expertise of the departments and enterprises of the Central Government and the State Government and saving the time, money and efforts of the procuring entities required in inviting and processing bids individually hereby makes the following amendment in this department's notification number F.1(8)/FD/GF&AR/2011 dated 04 September, 2013, as amended from time to time, namely:-

AMENDMENT

In the table of the said notification, against serial number 32,in column 2,for the existing item (1) and entries relating thereto in column number 2,3 and 4 shall be substituted by the following, namely:-

"

(1) In Circuit Houses, Guest Houses, Rajasthan House, Vishranti (HCM RIPA) Tribal Area Development Hostels /Schools and Social Justice & Empowerment Department Hostels, Residential Schools, Mahila sadans/ Nari Niketans, Oldage Homes etc. (a) Catering stores like pulses, spices, sugar, salts,. atta, wheat, besan,maida, suji, grams,dry fruits, papad, mangodi, oil, vansapati, bottled and tin provisions like Murrabba, Amla product, ketchup, squashes, sharbat, tea, coffee, biscuits, jams,	Purchase shall be made as under :- (a)1.From shops of Departments / Corporations/ Cooperative Societies/ Societies run by the State Government, Amrita Society of Women & Child Department through their shops 2.From Rajasthan Food & Civil Supplies Corporation Ltd.	1. In case of stores purchased from Upbhokta Bhandars in co-operative sector for Tribal Area Development Department hostels and Tribal Area Development Department schools in Rajasthan, Commissioner, Tribal Area Development Department and for Social Justice & Empowerment Department Hostels, Residential Schools, Mahila sadans/ Nari Niketans, Oldage Homes etc. Commissioner/ Director, Social Justice & Empowerment Department shall negotiate the rates through purchase committee before placing the orders of above stated items from them. 2. Purchase shall be made

pickels, paper napkins, toilet paper, sauces, cornflakes, etc.		through purchase committee.
(b) Dairy products like milk, powder, curd, cheese, butter, ghee, cream	(b) From Co-operative Dairies	
(c) Fuel like wood, LPG, Coal etc.	(c) From Distributors/ Sub-distributors at their current price list. Charcoal and fire wood from the Forest Department	
(d)Meat, Fish, eggs, Chicken	(d) From Dealers/ sub-dealers	
(e) Vegetables, fruits	(e) From Consumer Stores of State level Co-operative Societies, Delhi Super Bazar/ Established/ reputed retailers/dealers	
(f) Breads/Sweet	(f) From Established/ reputed retailers/ dealers	

"

[No. F2(1)FD/GF&AR/2017]
By Order of the Governor,
Manju Rajpal,
Secretary to the Government.

Government Central Press, Jaipur.